प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 09.12.2025

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने नवम्बर माह में IGRS रैंकिग में प्राप्त किया प्रथम स्थान।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के नेतृत्व में कमिश्नरेट के 19 थानों ने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली एवं समयबद्ध शिकायत निस्तारण के आधार पर प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा IGRS पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण के सन्दर्भ में माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 कार्यालय द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। यह उपलब्धि गाजियाबाद पुलिस की जनसेवा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कमिश्नरेट के प्रथम स्थान प्राप्त करने के मुख्य बिन्दु

- नवम्बर माह में समस्त IGRS सन्दर्भों का नियत समय से पूर्व निस्तारण किया गया जिससे माह में कोई भी सन्दर्भ डिफाल्टर नही हुआ।
- उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा माह नवम्बर में कमिश्नरेट गाजियाबाद के कुल 476 IGRS सन्दर्भों पर फीडबैक लिया गया जिसमें से 444 आवेदकों द्वारा स्वयं को पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होना बताया तथा 32 आवेदकों द्वारा असंतुष्ट होना बताया गया। जिससे कमिश्नरेट का संतुष्ट % 93.28 रहा, जो शासन द्वारा न्यूनतम 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि कमिश्नरेट में आवेदक की समस्या का समुचित रूप से निस्तारण किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद के कुल 11 सन्दर्भों की रेण्डमली रूप से जांच की गयी तथा सभी 11 सन्दर्भों की आख्या की गुणवत्ता उत्कृष्ट पायी गयी।
- उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा माह नवम्बर में कमिश्नरेट गाजियाबाद के कुल 476 IGRS सन्दर्भ पर फीडबैक लिया गया जिसमें से 461 आवेदकों द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा उनसे सम्पर्क किया गया तथा 15 आवेदकों ने बताया कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी करा उनसे सम्पर्क नहीं किया गया। जिससे कमिश्नरेट का आवेदक से सम्पर्क करने का प्रतिशत 96.85 रहा, जो शासन द्वारा न्यूनतम 95 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

यह सफलता पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में चलाए गए **फीडबैक आधारित संवाद दिवस** एवं विभिन्न जनहितकारी अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है तथा *"जनता से संवाद और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही पुलिस की प्राथमिकता है। IGRS में प्रथम स्थान प्राप्त करना इसी जनसहभागिता और टीमवर्क का परिणाम है।"*

- श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है।

- अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आम जनमानस के साथ की जा रही अभद्र व्यवहार की घटनाओं के प्रकाश में आने को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए **'शिष्टाचार संवाद नीति'** निर्धारित की गयी है। जिसके अंतर्गत "तुम" अथवा "तू" के स्थान पर "आप" का प्रयोग, महिला वादी/पीड़िता की गोपनीयता भंग न हो, बच्चों के लिए टॉफी/चॉकलेट अथवा आगंतुकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाएगा।
- पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम और आपराधिक संवेदनशीलता (Crime prevention and Criminal Sensitization) के दृष्टिगत सभी थानों से लूट, डकैती, स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त विगत 10 वर्षों के अपराधियों तथा वर्तमान में जमानत पर चल रहे अपराधियों को थानों पर तलब किया गया। **इस अभियान के दौरान समस्त बीट पुलिस ऑफिसर एवं बीट एसआई द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित अपराधियों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर थाने पर तलब किया गया।** सभी अपराधियों को पुनः अपराध न करने की सख्त चेतावनी दी गई और उनसे लिखित एवं मौखिक आश्वासन लिया गया कि वे भविष्य में अपराध से विमुक्त रहेंगे।
- पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा समय-समय पर थानों का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षकों को जनता केंद्रित (Citizen Centric) पुलिसिंग की दिशा में एक पहल के अन्तर्गत आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।
- विवेचना में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर जांच को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया गया है। इससे अभियोजन पक्ष को मजबूत आधार मिला और दोषसिद्धि दर में वृद्धि हुई। साथ ही साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली के अन्तर्गत विवेचक द्वारा अभियोग में धाराओं का लोप तथा वृद्धि करने एवं नामित अभियुक्तों के नाम हटाने तथा प्रकाश में लाने की कार्यवाही हेतु जोनल पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया। जिससे विवेचना को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है।
- पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अप्रैल 2025 में Citizen Charter जारी किया गया किया गया था। उसी के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अलग-अलग अभियान चलाये गये जिनके अन्तर्गत **FIR व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी वादी के घर पर डिलीवरी करना, फीडबैक सैल का गठन कर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नकारात्मक फीडबैक प्राप्त होने पर उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनशिकायत प्रकोष्ठ से थाने पर आये शिकायतकर्ता से वीडियो के माध्मय से समस्या सुनकर तुरन्त निस्तारण किया गया।**

इन अभियानों के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया, जिससे पुलिस के प्रति विश्वास और पारदर्शिता में वृद्धि हुई अथवा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट जनता को आश्वस्त करता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शी, उत्तरदायी एवं संवेदनशील पुलिसिंग जारी रहेगी।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा महिला की हत्या के अभियोग का सफल अनावरण, 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन व 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 11/11/25 समय 02:00 AM को थाना लोनी पर वादी श्री अरमान निवासी सानिया सिटी अशोक विहार लोनी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की माता नवासी उम्र 55 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर भाग जाना व उनकी दौराने इलाज मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना से अभियुक्त शाकिब पुत्र रहीसुद्दीन निवासी अमन गार्डन लोनी गाजियाबाद व शादाब पुत्र इकरामुददीन निवासी 20 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया व अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.12.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त गण 1.शाकिब पुत्र रहीसुद्दीन निवासी अमन गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. सादाब पुत्र इकरामुददीन निवासी 20 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को थाना लोनी चौकी अशोक विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाकिब के कब्जे से 01 पिस्टल अवैध .32 बोर मय मैगजीन व 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शाकिब उपरोक्त ने बताया कि मैं मृतका की बेटी को पसन्द करता था तथा उसको भागा ले जाकर शादी करना चाह रहा था जिसकी जानकारी मृतका को हो गयी थी और मृतका अपनी बेटी की देखरेख करने लगी। जिसके बाद से मैं मृतका से रंजिश मानने लगा था, इसी रंजिश के चलते मैंने अपने साथी सादाब को अपना मकसद बताकर उससे पिस्टल लेकर वादी की मां की हत्या कर दी थी तभी से हम लोग छिपते-छिपाते घूम रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाकिब पुत्र रहीसुद्दीन निवासी अमन गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

2. शादाब पुत्र इकरामुददीन निवासी 20 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त शाकिब उपरोक्त से 01 पिस्टल अवैध .32 बोर मय मैगजीन व 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त शादाब पुत्र इकरामुददीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री सुभाष चन्द पाण्डेय तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मोदीनगर द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीमती ममता गौतम द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मोदीनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/201/34 भादवि में अभियुक्तगण 1. रेखा पत्नी राहुल सैन नि0 सी-03 डबल स्टोरी, पीली कोठी, गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर व 2. पूनम पत्नी महेश कुमार नि0 गली न0 01 सुदामापुरी थाना मोदीनगर को, मा०अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-12 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 09.12.2025 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 201 सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तगण द्वारा वादी के नाबालिक पुत्र की हत्या करके उसके शव को गटर में छिपा देना, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 16.10.2023 को थाना मोदीनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 08.12.2025 को वादी श्री नीशू चन्दपुरिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 06.12.2025 को रात्रि में गाडी से वादी का मार्ग रोककर वादी व वादी के मित्र के साथ एक राय होकर जाने से मारने की नियत से लाठी डण्डो से मारपीट कर घायल करने के सम्बन्ध मे दाखिल की जिसके आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर धारा 191(2),191(3),115(2),352,351(2),127(2),308(2),110,309(4) बीएनएसएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग मे अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गयी थी। आज दिनांक 09.12.2025 को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे 04 वाँछित अभियुक्त 1. रवि पुत्र रामपाल निवासी मकान नं0 122 प्रथम तल कडकडडूमा विलेज थाना आनन्द विहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष 2. दीपक सिंह पाण्डा पुत्र हयात सिंह पाण्डा निवासी प्लाट 675 शक्ति खण्ड -4 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3. सूरज सिंह बिष्ट पुत्र अमर सिंह बिष्ट निवासी गली नं0 02 शक्ति विहार टल्ली जिला हल्द्वानी उत्तराखण्ड उम्र करीब 22 वर्ष 4. सुमित वरून पुत्र संतोष कुमार वरून निवासी म0नं0 256 धुकना भट्टा सिहानी विश्वासनगर गाजियाबाद थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को 5/6 की पुलिया वैशाली से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण ने पुछताछ मे बताया कि साहब दिनांक 06.12.2025 को रात्रि हम लोग गाडी से जा रहे थे रास्ते मे जाते समय हमारी वादी पक्ष से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई जिस कारण गुस्से मे आकर हम लोगो ने वादी पक्ष के साथ मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. रवि पुत्र रामपाल निवासी मकान नं0 122 प्रथम तल कडकडडूमा विलेज थाना आनन्द विहार दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।
2. दीपक सिंह पाण्डा पुत्र हयात सिंह पाण्डा निवासी प्लाट 675 शक्ति खण्ड -4 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
3. सूरज सिंह बिष्ट पुत्र अमर सिंह बिष्ट निवासी गली नं0 02 शक्ति विहार टल्ली जिला हल्द्वानी उत्तराखण्ड उम्र करीब 22 वर्ष।
4. सुमित वरून पुत्र संतोष कुमार वरून निवासी म0नं0 256 धुकना भट्टा सिहानी विश्वासनगर गाजियाबाद थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम में मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक अभियोग की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा यस बैंक सिक्योरिटीज के नाम की कूटरचित व फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के वाँछित 02 सदस्य अमृतसर (पंजाब) से गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद सिम, 01 अदद एटीएम कार्ड बरामद, उक्त अभियोग के अतिरिक्त 6 राज्यों की 2.05 करोड़ रुपये की 15 घटनाओं का खुलासा, 87.69 लाख रुपये रिकवर।

दिनांक 18.12.2024 से दिनांक 22.03.2025 तक वादी श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री लायक सिंह निवासी 13/137 वसुन्धरा, इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद को अभियुक्त गणों के द्वारा वादी मुकदमा से फेसबुक के माध्यम से सम्पर्क कर, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़कर, यस बैंक सिक्योरिटीज के नाम का प्रयोग करते हुए कूटरचित व फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप/वेबसाइट WWW.YSTSVIP.COM बनाकर वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए कुल 4,96,58,725/- रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह द्वारा दिनांक 07.04.2025 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा इस साइबर फ्रॉड की घटना को करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 02 सदस्य साहिल कपूर एवं हिमांशु महाजन को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन, 01 सिम कार्ड तथा 01 एटीएम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटना में 87.69 लाख रुपये रिफण्ड कराये जा चुके हैं।

अभियुक्त गण से प्राप्त डिटेल के अवलोकन से उक्त अभियोग के अतिरिक्त 6 राज्यों की 15 घटनाएं क्रमशः महाराष्ट्र की 1, राजस्थान की 2, तमिलनाडु की 4, उत्तर प्रदेश की 1, कर्नाटक की 4, दिल्ली की 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है।

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला निवासी VAISHNAV DAHIBHATE के साथ 2290591/- रुपये के साइबर फ्रॉड, राजस्थान राज्य के जयपुर जिला निवासी Dinesh Kumar Sharma के साथ 300000/- रुपये के साइबर फ्रॉड एवं SIKAR जिला निवासी Yogesh के साथ 10000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, तमिलनाडु राज्य के TIRUPPUR जिला निवासी SANKAR GANESH के साथ 2402524/- रुपये के साइबर फ्रॉड, CHENNAI - CCB जिला निवासी subramaniam a के साथ 809000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, VELLORE जिला निवासी Vinoth kumar के साथ 466090/- रुपये के साइबर फ्रॉड एवं KILPAUK जिला

निवासी Christina Srameela के साथ 106269/- रुपये के साइबर फ्रॉड, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिला निवासी ANUPAM SINGH के साथ 526999/- रुपये के साइबर फ्रॉड, दिल्ली राज्य के SOUTH WEST जिला निवासी Hemant kumar के साथ 1140000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, WEST जिला निवासी HARISH के साथ 1582466/- रुपये के साइबर फ्रॉड, DWARKA जिला निवासी MAHARAJ KRISHAN KAUL के साथ 6700000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, कर्नाटका राज्य के CHIKKABALAPURA जिला निवासी M Deekshith के साथ 450000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, BANGALORE CITY जिला निवासी Somashekhar Mestri के साथ 2427000/- रुपये के साइबर फ्रॉड, Chikkamangaluru जिला निवासी Panyam Vasudeva के साथ 4252331/- रुपये के साइबर फ्रॉड, BANGALORE CITY जिला निवासी Ujjwal Pal के साथ 680868/- रुपये के साइबर फ्रॉड साइबर फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि साहिल कपूर रंजीत एवेन्यू होटल अमृतसर में नौकरी करता है, नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात हिमांशु महाजन से हुई थी, जो कि अमृतसर में क्रॉकरी की दुकान करता है। साहिल कपूर ने हिमांशु महाजन के साथ मिलकर साहिल एण्टरप्राइजेज के नाम से एक फर्जी फर्म बनाकर पंजाब एण्ड सिंध बैंक में चालू खाता सं0 04681100001957 PSIB0000468 खुलवाया। इन दोनों ने इस खाते को मुकेश नाम के व्यक्ति को दिया, जो इस खाते में ट्रांजेक्शन करवाता था। ये दोनों खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन का 5 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मुकेश से प्राप्त करते थे।

इनके साथी मुकेश निवासी अमृतसर पंजाब की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. साहिल कपूर पुत्र हरीश कपूर निवासी 53 A आनंद विहार कॉलोनी, चभल रोड, थाना गेट हकीमा अमृतसर, पंजाब उम्र करीब 39 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।
2. हिमांशु महाजन पुत्र रमन महाजन निवासी म0नं0 3123/9 मेन बाजार गेट हकीमा थेना डी डिवीजन अमृतसर, पंजाब उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा – 12 वीं।

बरामदगी का विवरण –

02 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद सिम, 01 अदद एटीएम कार्ड।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।